बंध्याली स्कूल और बच्चों के मौलिक अधिकार पर बाजार का हमला

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने दिगन्तर को बंध्याली स्कूल हटाने का नोटिस जारी करके यह साबित कर दिया है कि उसे भारतीय संविधान की तनिक भी परवाह नहीं है। जयपुर के पास के गांवों के 325 बच्चों (जिनमें 200 से अधिक लड़कियां हैं) को सन् 1993 से उम्दा गुणवत्ता की निःशुल्क शिक्षा देने वाले बंध्याली स्कूल को प्राधिकरण हटाने पर क्यों आमदा है? इसलिए नहीं कि वह स्कूल की जमीन पर जनकल्याण का कोई काम करना चाहता है। उलटे, प्राधिकरण उस जमीन को 'महिमा शिक्षा समिति' नाम की किसी संस्था को आवंटित करने जा रहा है जो वहां एक प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलेगी और मुनाफा कमायेगी यानि धंधा करेगी। प्राधिकरण को पता होना चाहिए कि दिसम्बर 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधान के बाद निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6–14 वर्ष आयु के हर बच्चे या बच्ची का मौलिक अधिकार यानी बुनियादी हक बन चुकी है। इसके मायने हैं कि सरकार या उसकी कोई भी एजेंसी न तो कोई ऐसा फैसला कर सकती है और ना ही ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन करे, खासकर जबकि उक्त फैसला या कदम किसी अन्य मौलिक को आगे न बढ़ाता हो। स्पष्ट है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय किसी मौलिक अधिकार को आगे नहीं बढ़ाता। इसके विपरीत, दिगन्तर का बंध्याली स्कूल 6–14 आयु समूह के बच्चों (खासकर लड़कियों) को उत्तर प्राथमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा देकर राजस्थान सरकार की उस संवैधानिक जवाबदेही को पूरा करने में मदद कर रहा है जो मौलिक अधिकार के दायरे में आती है और जिसे पूरा करने में सरकार पूर्णतः विफल रही है। यदि प्राधिकरण बंध्याली स्कूल की तुलना में एक मुनाफाखोर प्राइवेट विश्वविद्यालय को अधिक प्राथमिकता देता है तो उसके खिलाफ संविधान के उल्लघंटन का मामला साफ–साफा बनता है।

यदि राजस्थान सरकार या प्राधिकरण को देश के हित का तनिक भी ध्यान है तो उसे समझना होगा कि शिक्षा बाजार में खरीद–फरोख्त की वस्तु नहीं है, वरन् शिक्षा बेहतर समाज के निर्माण का आवश्यक साधन है। महात्मा फूले, महिर्षी अरविन्द, महात्मा गांधी और गुरू रवीन्द्रनाथ टैगोर सभी ने शिक्षा को इसी दृष्टि से देखा है। इसीलिए डा. अम्बेडकर ने शिक्षा को संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले खंड चार के तीन अनुच्छेदों 41, 45 व 46 में रखा। शायद राजस्थान सरकार और प्राधिकरण को न तो भारत की इस समृद्ध शैक्षिक परंपरा की कद्र है और ना ही संविधान की। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाले बंध्याली स्कूल की जमीन छीनकर शिक्षा को मुनाफा कमाने का साधन बनाने जा रही महिमा शिक्षा समिति को जमीन देने के प्राधिकरण के इस जन–विरोधी और बाजार की ताकतों को मजबूत बनाने वाले फैसले के रोकने के लिए देशभर में जन मुहिम छेड़ने की जरूरत है ताकि आम जनता के लिए शिक्षा को बचाया जा सके।

12 दिसम्बर 2005

प्रोफेसर अनिल सद्गोपाल
सदस्य, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
एवं सीनियर फेलो, नेहरू स्मारण संग्रहालय व पुस्तकालय